<u>न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, सह विशेष न्यायाधीश, बिहारशरीफ, नालन्दा</u>।

नियमित जमानत आवेदन संख्या 170/2026

राहुल पासवान एवं 02 अन्यबनाम बिहार सरकार

हरनौत थाना कांड संख्या 42/2026

अंतर्गत धारा 126(2), 115(2), 109(1), 352, 351(2), 352, 324(4), 3(5) B.N.S & Arms Act

<u>10.03.2026</u>

दिनांक 27.01.2026 से कारावासित अभियुक्त **राहुल पासवान, जयराम पासवान एवं उपेन्द्र पासवान** की ओर से दाखिल नियमित जमानत आवेदन पर बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता श्री शशिभूषण कुमार तथा विद्वान लोक अभियोजक श्री अनुज कुमार एवं सूचक के निजी अधिवक्ता श्री रविकांत का तर्कपूर्ण बहस सुना ।

अभियोजन का वाद संक्षेप में यह है कि दिनांक 25.01.2026 को समय करीब 08:30 बजे रात्रि में सूचक अपने चाचा वासदेव पासवान एवं अपने भाई राजो पासवान के साथ अपने घर जा रहा था उसी समय कुबेर कुमार बेवजह गाली–गलौज करने लगाएवं पिस्टन सटा दिया । विरोध करने पर कुबेर कुमार, राहुल पासवान, रंजीत पासवान, जयराम पासवान, ओपिन्दर पासवान, संतोष पासवान गाली–गलौज करने लगा। विरोध करने पर कुबेर कुमार जान मारने की नियत से पिस्टल सटा दिया तथा उक्त सभी लोगों ने लाठी–डंडा से जान मारने की नियत से मारपीट करने लगा। जिसके कारण वह बुरी तरह जख्मी हो गया। राजो पासवान, सूरज पासवान, संजीत पासवान जब बचाने के लिए आए तो उसे भी मारपीट कर घायल कर दिए। जिससे उनलोगों का सर फट गया। झगड़ा को देखर स्थानीय लोग बीच–बचाव करना चाहा तो कुबेर कुमार ने जान मारने की नियत से कई गोली फायर किया तथा बोला कि आज नहीं तो कल तुझे गोली मार दूंगा। झगड़ा के क्रम में उनके भाई विक्की कुमार का टेम्पु तोड़ दिया। मारपीट के क्रम में सर फूट गया तथा राजो पासवान, सुजीत पासवान का भी सर फोड़ दिया। सभी जख्मियों का ईलाज सदर अस्पताल, बिहारशरीफ में हुआ।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदकगण निर्दोष है, उन्हे झूठे व गलत आधार पर इस वाद में फंसा दिया गया है । आवेदक की ओर से इस जमानत आवेदन के अलावा और कोई जमानत आवेदन इस न्यायालय या कोई वरीय न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। प्रस्तुत वाद का एक प्रति कांड हरनौत थाना कांड सं0 43/2026 दर्ज है। बी0एन0एस0 की धारा 109(1) एवं आर्म्स एक्ट को छोड़कर अन्य धाराएं जमानतीय प्रकृति के है। उक्त धाराओं का अभियोग आवेदकगण के विरूद्ध बनता प्रतीत नहीं होता है क्योंकि दोनो पक्षों के लोग जख्मी हुए है। उनका यह भी कथन है कि आवेदकगण के विरूद्ध मारपीट का कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगाया गया है तथा लगाए गए आरोप सामान्य एवं बहुप्रयोज्य है। आवेदकगण दिनांक 27.01.2026 से न्यायिक हिरासत में है। अतः इन्हें नियमित जमानत का लाभ प्रदान किया जाय ।

<u>न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, सह विशेष न्यायाधीश, बिहारशरीफ, नालन्दा</u>।

नियमित जमानत आवेदन संख्या 170/2026

राहुल पासवान एवं 02 अन्यबनाम बिहार सरकार

हरनौत थाना कांड संख्या 42/2026

अंतर्गत धारा 126(2), 115(2), 109(1), 352, 351(2), 352, 324(4), 3(5) B.N.S & Arms Act

<u>लगातार</u>

10.03.2026

विद्वान लोक अभियोजक तथा सूचक के निजी अधिवक्ता आवेदकगण के उक्त जमानत आवेदन का विरोध करते हैं ।

उभय पक्षों को सुनने के पश्चात अभिलेख एवं कांड दैनिकी का अवलोकन किया और पाया कि प्रस्तुत वाद का एक प्रति कांड हरनौत थाना कांड सं0 43/2026 दर्ज है, जिसमें दोनों पक्षों के लोग जख्मी हुए हैं । कांड दैनिकी में जख्मियों के जख्म प्रतिवेदन का उल्लेख है जिसमें चिकित्सक द्वारा जख्म को कड़े व भोथरे पदार्थ से कारित साधारण प्रकृति का पाया गया है । यह वाद Free-Fight का है । आवेदकगण दिनांक 27.01.2026 (करीब डेढ़ माह) से न्यायिक हिरासत में है।

अतः मामले के तथ्यों व परिस्थितियों तथा विशेष रूप से आवेदकगण के कारावधि को ध्यान में रखते हुए आवेदकगण को 10,000/–रु0 के जमानत तथा उसी राशि के समतुल्य वाले दो प्रतिभूओं वाले बंधपत्र दाखिल करने के उपरांत संबंधित विचारण न्यायालय के संतुष्टि पर जमानत का लाभ प्रदान किया जाता है ।

(लेखापित एवं संशोधित)

(संजीव कुमार सिंह)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम
सह विशेष न्यायाधीश
नालन्दा, बिहारशरीफ।